आधार अधिनियम संवैधानिक (Aadhar Act 2016) - सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले!

आधार कार्ड की मान्यता को लेकर देश में पिछले काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि क्या इसका इस्तेमाल हर जगह पर होना आवश्यक है या नहीं। आधार कार्ड की मान्यता को लेकर चल रही बहस के इस दौर के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने **26 सितंबर, 2018** को इस पर अपना सुप्रीम फैसला सुनाया. **दीपक मिश्रा** की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के **पांच जजों की बेंच** ने आधार कार्ड को कुछ शर्तों के साथ इसे संवैधानिक करार दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले का आखिर मतलब क्या है और अब आधार का इस्तेमाल कहाँ होगा या नहीं, अपने इन सभी सवालों के जवाब के साथ-साथ इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए **आधार अधिनियम** पर इस लेख को पूरा पढ़ें। आप इस लेख को पढ़ने के बाद पीडीऍफ़ में भी डाउनलोड कर सकते हैं।

आधार अधिनियम, 2016

आधार विधेयक को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में मनी विधेयक के रूप में पेश किया गया था। डेटा सुरक्षा और जन निगरानी की बढ़ती चिंताओं के बीच **11 मार्च 2016** को लोकसभा द्वारा बिल पारित किया गया था। कानून हर भारतीय निवासी को अद्वितीय पहचान संख्या (**Unique Identification Numbers**) जारी करने की योजना को संवैधानिक समर्थन प्रदान करना चाहता है जिससे कल्याणकारी योजनाओं के तहत इच्छित लाभार्थियों को सब्सिडी, सेवाओं और अन्य लाभों के लक्षित (प्रत्यक्ष) वितरण को सक्षम बनाया जा सके। आधार कार्ड एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय पहचान संख्या (**Unique Identification Numbers**) सौंपी जाती है।

आधार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले

- भारत के **मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा** की अध्यक्षता में **पाँच न्यायाधीश कंस्टीटूशन बेंच** में जस्टिस **एके सिकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचुद और अशोक भूषण** शामिल हैं।। उन्होंने मई 2018 में आधार के खिलाफ पिछले सात सालों से उठाये गए विभिन्न मुद्दों के तर्क को सुना।
- सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को देखा और पाया कि आधार के प्रमाणीकरण (Authentication) के लिए सरकार के पास पर्याप्त रक्षा तंत्र (डिफेन्स मैकेनिज्म) है। जो की अन्य व्यक्तियों की जानकारियों को पूर्ण तरह गोपनीय (secret) रखने में सक्षम है।

CURRENT AFFAIRS
FASTEST WAY TO PREPARE
CURRENT AFFAIRS
GET IT ON Google Play

- **न्यायमूर्ति सीकरी** ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रमाणीकरण डेटा **6 महीने** से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान नियम डेटा को **5 वर्षों** तक **संग्रहीत(Stored)** करने की अनुमति देता है।
- पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस. पुटास्वामी की याचिका(Petition) सहित 31 याचिकाओं (Petitions)पर सुनवाई की । कोर्ट का फैसला आने तक सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में 'आधार' की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई , जिसमें मोबाइल सिम शामिल हैं। हालांकि मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार 'आधार' को अनिवार्य करने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है।
- आधार अधिनियम, 2016 की Section 57 में कहा गया है कि निजी निकाय निगम आधार डेटा मांग सकते हैं, जिसे अब असंवैधानिक घोषित किया गया है।
  सुप्रीम कोर्ट ने आधार के उस कानून में भी बदलाव किये हैं जो की व्यक्तियों को आधार अधिनियम के तहत मामलों को दर्ज (Matters to be recorded) करने से रोकता था। इससे पहले, केवल यूआईडीएआई और उसके अधिकारी मामले दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अदालत में मामला दर्ज कर सकता हैं।

अब कोई भी व्यक्ति आधार अधिनियम के तहत याचिका दायर कर सकते हैं।	सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार ऑपरेटरों को उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए सभी डेटा को हटाने का निर्देश दिया है।
अब से, बच्चों के लिए स्कूल प्रवेश या किसी अन्य सरकारी योजना के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। इसलिए आधार नहीं होने के कारण उन्हें किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।	प्रमाणीकरण डेटा 6 महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जाना चाहिए। जिससे की 5 साल के लिए डेटा एकत्रित करने के वर्तमान नियम को बदला गया है।
धारा 57 जो निजी निकाय निगमों को आधार डेटा की तलाश करने की इजाजत देता है, अब इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है।.	सुप्रीम कोर्ट ने आधार के साथ पैन कार्ड को जोड़ने को जरूरी बताया है। लेकिन लोगों को बैंक, टेलीफोन कंपनियों या किसी अन्य निगम को आधार प्रदान करने की जरुरत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आधार अधिनियम चुनौती क्यों दी गई थी?

- सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं देखी हैं, चाहे आधार या राष्ट्रीय पहचान पत्र भारतीय संविधान के भाग III में निहित गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य बनाने के लिए सरकार के कदम को चुनौती दी।
- मार्च 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदम पर अनिश्चितकालीन सीमा बढ़ा दी, जो बैंक खातों और मोबाइल फोन को जोड़ने से पहले लंबित याचिकाओं पर निर्णय तक अनिवार्य है।
- याचिकाकर्ताओं का मानना था कि आधार - एक विशाल बॉयोमीट्रिक डेटाबेस पर बनाया गया है जिसमें फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल हैं, अनिवार्य नहीं किए जाने चाहिए।

- वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों के बढ़ने के बीच सुरक्षा चिंताओं और डेटा संरक्षण पर प्रश्न उठाए गए थे और क्या सरकार ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है।

आधार अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान

आधार अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है?

आधार अधिनियम 3 स्तंभों पर आधारित है।

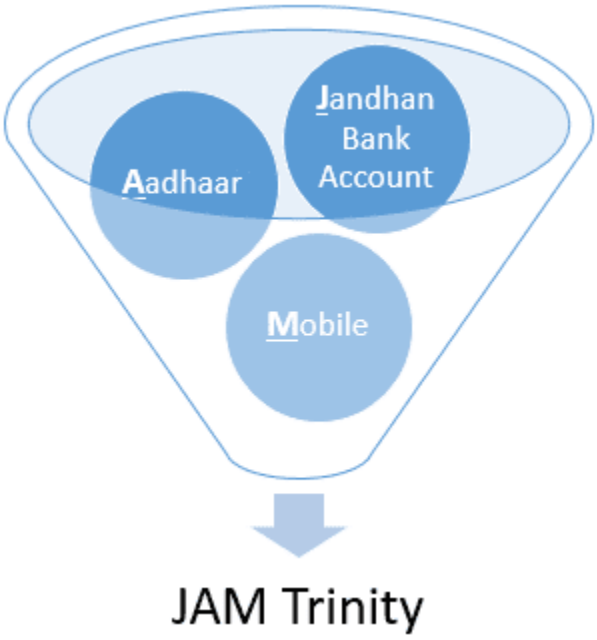

- JAM Trinity सामाजिक कार्यक्रमों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।
- यह लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा मंच विकसित करेगा।
- यह जन-धन योजना, पेंशन भुगतान, डिजिटल प्रमाण पत्र, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति जैसे डिजिटल पहलों के साथ एक नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
- इसके अलावा यह विभिन्न सब्सिडी और लाभों की अंत तक पारदर्शिता और पता लगाने के लिए योग्यता प्रदान करेगा।
- अधिनियम केंद्रीय डेटा पहचान रिपोजिटरी की स्थापना द्वारा गोपनीयता चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है।
- आधार से सरकार भ्रष्टाचार को कम करके हजारों करोड़ों रुपये बचा सकती है।

आधार का समग्र लाभ होगा:

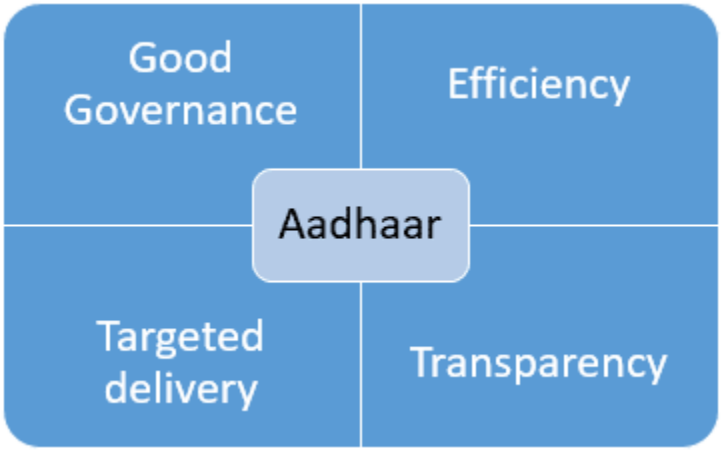

क्या जानकारी एकत्र की जाएगी?

निम्नलिखित प्रकार की जानकारी आधार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से एकत्र की जाएगी।

- बॉयोमीट्रिक जानकारी (Biometric information) - एक व्यक्ति के फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, या "अन्य ऐसे जैविक गुण" शामिल हैं।
- जनसांख्यिकीय जानकारी (Demographic information) - नाम, जन्मतिथि, पता और किसी व्यक्ति की "अन्य प्रासंगिक जानकारी" शामिल है
- बहिष्कार (Excludes) - जाति, धर्म, जनजाति, जातियता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास।

आधार के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

एक "निवासी" यानी एक व्यक्ति जो पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है। प्रत्येक निवासी अपनी बॉयोमीट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जमा करके आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है।

पंजीकरण के समय नामांकन एजेंसी निवासी को उस तरीके के बारे में सूचित करेगी जिसमें डेटा का उपयोग किया जाएगा, जिसके साथ इसे साझा किया जा सकता है और पहुंच की प्रक्रिया हो सकती है।

मुझे अपना आधार कब मिलेगा?

भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आंकड़ों की पुष्टि के बाद निवासी को आधार संख्या जारी करेगी।

आधार से सब्सिडी कैसे जुड़ी हुई है?

अधिनियम में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुछ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों को आधार संख्या रखने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय का उपयोग किया जा सकता है जब तक कि व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त नहीं कर लेता है।

आधार मुझे और कैसे लाभ पहुँचा सकता है?

यूआईडीएआई शुल्क के बदले अनुरोध पर अन्य निजी और सार्वजनिक एजेंसियों के लिए 'आधार संख्या' का सत्यापन कर सकता है। इसका उपयोग सत्यापन उद्देश्यों जैसे कि सिम कार्ड या एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कई दस्तावेज को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। यह केवल तभी अनुमति दी जाएगी यदि:

- अनुरोधकर्ता एजेंसी सत्यापन धारक की सत्यापन के लिए सहमति प्राप्त करती है।
- अनुरोध एजेंसी आधार धारक को सूचना की प्रकृति के बारे में सूचित करती है जिसे सत्यापन पर साझा किया जाएगा।

इसके अलावा, आधार की जानकारी और शक्तियों के साझाकरण पर कुछ प्रतिबंध हैं।

- यूआईडीएआई केवल पहचान जानकारी साझा कर सकता है। यह बॉयोमीट्रिक जानकारी साझा नहीं कर सकता है।
- नागरिकता या निवास के प्रमाण के लिए आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

मुझे चिंतित क्यों होना चाहिए?

- सरकार सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी लाभों के लिए आधार अनिवार्य कर सकती है जो आपको बॉयोमीट्रिक सूचना जैसे निजी डेटा साझा करने की आवश्यकता होती है, भले ही आप नहीं चाहते हैं।
- आधार डेटा संग्रह निजी एजेंसियों को अनुबंधित किया जाता है जो प्रश्न प्रमाणीयता, निष्ठा, सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता में काम करते हैं।
- एकत्रित जानकारी डेटा चोरी या दुरुपयोग के लिए कमजोर है।

- अधिनियम कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को आधार संख्या का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करता है ताकि किसी व्यक्ति के व्यवहार जैसे टेलीफोन और यात्रा रिकॉर्ड का पता लगाया जा सके। इससे निर्दोषों का उत्पीड़न हो सकता है।
- अधिनियम यूआईडीएआई को व्यक्तियों के डीएनए एकत्र करने से मना नहीं करता है।
- अधिनियम निर्दिष्ट नहीं करता है कि यूआईडीएआई द्वारा कितने प्रमाणीकरण रिकॉर्ड संग्रहीत किए जा सकते हैं।

अधिनियम मेरी जानकारी की रक्षा कैसे करता है?

- यूआईडीएआई को सूचना और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्रमाणीकरण रिकॉर्ड का अर्थ है 'प्रमाणीकरण के समय का रिकॉर्ड और अनुरोध करने वाली इकाई की पहचान और प्रदान की गई प्रतिक्रिया'
- यूआईडीएआई को निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रमाणीकरण रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
- आधार संख्या धारक आरक्षित परिस्थितियों में अपने प्रमाणीकरण रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है।
- एक जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय यूआईडीएआई को केवल व्यक्ति की पहचान जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता है न कि मूल बॉयोमीट्रिक सूचना के लिए।
- यदि अधिकारी के पास राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जारी आदेश है तो कोर बॉयोमीट्रिक जानकारी केवल एक अधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव या उच्चतर पद के साथ प्राप्त की जा सकती है।

testbook.com

कानूनी प्रभाव क्या हैं?

- प्रतिरूपण के प्रयास में झूठी सूचना प्रदान करना जेल में 3 साल का अधिकतम जुर्माना और / या 10,000 का जुर्माना लगाता है।
- केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में अनधिकृत पहुंच, जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है या इसमें संग्रहीत जानकारी लीक हो जाती है, इसमें अधिकतम 3 साल का जुर्माना और / या न्यूनतम जुर्माना या ₹ 100,000 होता है।
- इस कानून के तहत शिकायतों को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के तहत प्रयास किया जाना चाहिए।
- कोई भी अदालत इस कानून के तहत कोई शिकायत स्वीकार नहीं कर सकती है जब तक कि यूआईडीएआई द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जाता है।

यूआईडीएआई के बारे में फुटनोट्स

यूआईडीएआई का ढांचा

- यूआईडीएआई को सरकार के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एनआईटीआई अयोध के प्रशासनिक नियंत्रण से स्थानांतरित कर दिया गया है।
- यह एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बना है।
- प्रौद्योगिकी, प्रशासन, कानून, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित मामलों में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव और ज्ञान होना चाहिए

यूआईडीएआई के कार्य और शक्तियाँ

- पंजीकरण के लिए एकत्र किए जाने वाले जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक जानकारी के प्रकार की पहचान करना।
- निवासियों को आधार संख्या जारी करने और सत्यापन करने के लिए।
- सब्सिडी और विभिन्न सेवाएं प्रदान करना जिसके लिए आधार आवश्यक होगा।

testbook.com

यूआईडीएआई की लेखा परीक्षा

- यूआईडीएआई द्वारा एकत्रित या एकत्रित कोई भी शुल्क भारतीय समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जानी चाहिए।
- यूआईडीएआई को पिछले खर्चों और आगामी योजनाओं का विवरण देने वाली केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होगी।

क्या यह आलेख आपके लिए उपयोगी था? ऐसे लेख देखें।

भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज की सूची	भारत के बंदरगाह की सूची
भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची	भारत के खेल स्टेडियम की सूची
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और विजेताओं की सूची	